न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 76 / 2017

1 विकास पुत्र श्री नरसाराम
2 सरोज पुत्री श्री नरसाराम
3 विनोद पुत्री श्री नरसाराम
4 सुमन पुत्री श्री नरसाराम
5 सावित्री पत्नी श्री नरसाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 छोटूराम पुत्र श्री सुरजाराम
2 नन्दलाल पुत्र श्री छोटूराम
3 मनोहरी पत्नी श्री छोटूराम
जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मोहन पुत्र श्री गिण्डाराम
5 रामधन पुत्र श्री गिण्डाराम
6 मेघाराम पुत्र श्री गिण्डाराम
जाति कुमावत निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 सतवीर पुत्र श्री नरसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 ओमप्रकाश पुत्र श्री झुंथाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प: झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बउनवानी छोटूराम वगै. बनाम नरसाराम वगै. मु.नं. 20/2013

अपील संख्या 77/2017

1 विकास पुत्र श्री नरसाराम
2 सरोज पुत्री श्री नरसाराम
3 विनोद पुत्री श्री नरसाराम
4 सुमन पुत्री श्री नरसाराम
5 सावित्री पत्नी श्री नरसाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 छोटूराम पुत्र श्री सुरजाराम
2 नन्दलाल पुत्र श्री छोटूराम
3 मनोहरी पत्नी श्री छोटूराम
जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मोहन पुत्र श्री गिण्डाराम
5 रामधन पुत्र श्री गिण्डाराम
6 मेघाराम पुत्र श्री गिण्डाराम
जाति कुमावत निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 सतवीर पुत्र श्री नरसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 ओमप्रकाश पुत्र श्री झुंथाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक
19.05.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
बउनवानी छोटूराम वगै. बनाम नरसाराम वगै.
मु.नं. 20/2013

उपस्थिति :
1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 20/2013 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2014, 19.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1519, 1520, 1521, वाके ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

परसरामपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 प्रस्तुत की गई है जिसमें भूमि खसरा नम्बर 1519 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1520 रकबा 1.95 है., खसरा नम्बर 1521 रकबा 2.87 है., कुल किता 3 कुल रकबा 6.62 हैक्टेयर में हिस्सा 1 आना 2 पाई अपीलान्ट नम्बर 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम पुत्र नारायण व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 ओमप्रकाश पुत्र झुंथाराम के नाम दर्ज था व 1 आना 2 पाई अकेले अपीलान्ट नम्बर 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम पुत्र नारायणराम के नाम दर्ज था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर भूमि नरसाराम पुत्र नारायणराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 ओमप्रकाश दोनों की आधी–आधी थी व 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर भूमि अकेले नरसाराम पुत्र नारायणराम की थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी 6.62 हैक्टेयर में 3 आना अर्थात 1.24 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 का, 3/4 हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पिता नरसाराम पुत्र नारायणराम का था इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज था। परन्तु वादीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 का हिस्सा बराबर गलत दर्ज कर दिया जिसके आधार पर ही विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख की अनदेखी करते हुये। रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 का 1.24 हैक्टेयर में 1/4 के स्थान पर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति एवं नरसाराम पुत्र नारायणराम को 1.24 हैक्टेयर में 3/4 के स्थान पर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त निर्णय पारित किया है। जबकि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कही पर भी दर्ज नहीं किया है कि किस आधार पर अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम का हिस्सा कम किया। विचारण न्यायालय अपने अंतिम निर्णय व डिक्री में वादीगण व प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (अन्य दायित्व)

नम्बर 1 व 2 के हिस्से की बिना स्पष्ट घोषणा किये मात्र विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र की धारा 12 क के मुताबिक व प्राथमिक निर्णय के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया है। जबकि विचारण न्यायालय को वादीगण व प्रतिवादी को उनके हिस्से का स्पष्ट खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था। वादग्रस्त आराजी 6.62 हैक्टेयर में 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 ओमप्रकाश का शामिल में था एवं 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर हिस्सा अकेले नरसाराम का था इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज था। परन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख जमाबन्दी का गौर किये बिना ही बिना किसी आधार के 6.62 हैक्टेयर में से 1.24 हैक्टेयर हिस्से में नरसाराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करके भारी भूल की है। अपीलान्टस को विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की पूर्व में कोई सूचना नही थी अपीलान्ट को कभी भी विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के समय कोई सूचना नहीं दी गई ना ही विभाजन प्रस्ताव न्यायालय पेश होने के पश्चात गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने हेतु कोई नोटिस नही मिला। तथा बिना कोई सुनवाई के गलत आधारों पर वादग्रस्त भूमि का गलत रूप से हिस्से घोषित कर दिये। तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने उक्त भूमि में पत्थर गड्डी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके राजस्व न्याय आपके द्वार अभियान में उपस्थिति के नोटिस दिनांक 09.05.2017 को प्राप्त हुये। तब अपीलान्टस ने हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी ली तो उसमें अपीलान्टस के हिस्से की भूमि का रिकार्ड गलत दर्ज मिला जिसके पश्चात चाराजोही करने पर दिनांक 09.06.2017 को विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात उक्त अपील सेवामें पेश है। जानकारी से अंदर मियाद अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 96 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अभाव में अपील पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण/अपीलान्टस ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेख नहीं किया कि विचारण न्यायालय का नोटिस प्रार्थीगण के पिता नरसाराम को नहीं मिला हो जबकि प्रार्थीगण/अपीलान्ट के पिता नरसाराम को नोटिस विचारण न्यायालय का मिल गया था तथा दिनांक 22.03.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई थी। प्रार्थीगण ने देरी से अपील पेश की है जबकि निर्णय दिनाक 12.01.2014 को हुआ था तथा अपील दिनांक 22. 06.2017 को पेश की इस प्रकार 3 साल 5 माह बाद अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण ने देरी का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं दिया देरी के प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण दिया जाना न्यायोचित था। प्रार्थीगण का दफा 5 परिसीमा का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना होकर रिकार्ड अलग–अलग दर्ज होकर अलग जमाबंदियो व नक्शा ट्रेस बन चुका है। विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के पिता विचारण न्यायालय में प्रतिवादी थे अतः उनकी फौतगी के उपरांत अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने के लिए धारा 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 प्रस्तुत की गई है जिसमें भूमि खसरा नम्बर 1519 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1520 रकबा 1.95 है., खसरा नम्बर 1521 रकबा 2.87 है., कुल किता 3 कुल रकबा 6. 62 हैक्टेयर में हिस्सा 1 आना 2 पाई अपीलान्ट नम्बर 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम पुत्र नारायण व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 ओमप्रकाश पुत्र झुंथाराम के नाम दर्ज था व 1 आना 2 पाई अकेले अपीलान्ट नम्बर 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम पुत्र नारायणराम के नाम दर्ज था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर भूमि नरसाराम पुत्र नारायणराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 ओमप्रकाश दोनों की आधी–आधी थी व 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर भूमि अकेले नरसाराम पुत्र नारायणराम की थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी 6.62 हैक्टेयर में 3 आना अर्थात 1.24 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 का, 3/4 हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पिता नरसाराम पुत्र नारायणराम का था इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज था। परन्तु वादीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 का हिस्सा बराबर गलत दर्ज कर दिया जिसके आधार पर ही विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख की अनदेखी करते हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 का 1.24 हैक्टेयर में 1/4 के स्थान पर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति एवं नरसाराम पुत्र नारायणराम को 1.24 हैक्टेयर में 3/4 के स्थान पर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त निर्णय पारित किया है। जबकि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कही पर भी दर्ज नहीं किया है कि किस आधार पर अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम का हिस्सा कम किया। विचारण न्यायालय अपने अंतिम निर्णय व डिक्री में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के हिस्से की बिना स्पष्ट घोषणा किये मात्र विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र की धारा 12 क के मुताबिक व प्राथमिक निर्णय के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया है। जबकि विचारण न्यायालय को वादीगण व प्रतिवादी को उनके हिस्से का स्पष्ट खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था। वादग्रस्त आराजी 6.62 हैक्टेयर में 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के पिता व अपीलान्ट नम्बर 5 के पति नरसाराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 ओमप्रकाश का शामिल में था एवं 1 आना 2 पाई अर्थात 0.62 हैक्टेयर हिस्सा अकेले नरसाराम का था इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज था। परन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख जमाबन्दी का गौर किये बिना ही बिना किसी आधार के 6.62 हैक्टेयर में से 1.24 हैक्टेयर हिस्से में नरसाराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर